न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 09 / 2022(2022 / 33)

1. कैलाशचन्द पुत्र श्री मिठूलाल जाति खाती निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

---अप्रार्थीगण

1. नाबालिग अंजली पुत्री आत्माराम संरक्षक सरपरस्त माता नूतन।
2. नाबालिग प्रशान्त पुत्र आत्माराम संरक्षक सरपरस्त माता नूतन।
3. नूतन पत्नि श्री आत्माराम जाति खाती।
4. घनश्याम पुत्र श्री रामेश्वर जाति खाती।
5. मन्भर पत्नि श्री रामविलास जाति खाती।
6. मनोहर कुमार पुत्र नन्दलाल जाति खाती।
7. महावीर प्रसाद पुत्र श्री नन्दलाल जाति खाती।
8. राकेश कुमार पुत्र श्री नन्दलाल जाति खाती।
9. राजरानी पुत्री श्री रामेश्वर जाति खाती।
10. शांति देवी पत्नि श्री काशीराम जाति खाती।
11. सुनीता पुत्री श्री रामेश्वर जाति खाती।
12. हरिप्रसाद पुत्र श्री नन्दलाल जाति खाती।

निवासीगण कस्बा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:—
प्रार्थी वकील :— श्री शिवप्रसाद पाराशर
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 5.7.2022

पत्रावली आज न्यायालय मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात **ग्राम/कस्बा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2069—76** में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:—

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
369—1609	6776 6777	0.44 0.56	बारानी 1 बारानी 1
	कुल किता 2	रकबा 1.00हैक्टर	

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है व प्रार्थी ही आराजीयात को काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा हैं। जिसमे प्रार्थी का 37 / 96 हिस्सा है जिसमे वादी का ही कब्जा काश्त निरन्तर बैरोक ठोक चला आ रहा है अन्य किसी व्यक्ति का वर्णित आराजीयात में हक अधिकार हिस्सा नही है और ना ही हो सकता है। प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की आराजीयात का सीमा ज्ञान नही करवाया तब प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते सीमा ज्ञान हेतु श्रीमान तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

महोदय केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर आज दिनांक तक कोई संतोषप्रद कार्यवाही नही हुई। इसलिए यह प्रार्थना पत्र वास्ते स्थाई पत्थरगढ़ी हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थी की आराजीयात का बार–बार निवेदन करने के पश्चात भी सीमा ज्ञान नही हो सका। इसलिए प्रार्थी व फरीकैन प्रतिवादीगण की आराजीयात की स्थायी पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण प्रथम बार दिनांक 9.12.2021 को उत्पन्न हुआ जब तहसीलदार महोदय केकड़ी को सीमाज्ञान करने हेतु निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने न्यायालय से आदेश की लाने की बात कह कर वाद वर्णित आराजीयात की सीमाज्ञान नही किया तक उत्पन्न हुआ और अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने व वाद वर्णित आराजीयात की स्थाई पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान कराने के निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में राजहित प्रभावित नही होना बताया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम केकडी तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–76 के खाता संख्या नया पुराना 369–1609 के खसरा संख्या 6776, 6777, रकबा 0.44, 0.56हैक्टर कुल किता 2, कुल रकबा 1.00हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner